भारत सरकार

संचार मंत्रालय

दूरसंचार विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं.860

उत्तर देने की तारीख 09 फरवरी, 2024

दूरसंचार सेवाओं का निलंबन

860 श्री के. सी. वेणुगोपालः

श्रीमती रजनी अशोकराव पाटिलः

श्री कपिल सिब्बलः

श्रीमती रंजीत रंजनः

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास पिछले पांच वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों पर अधिरोपित दूरसंचार सेवाओं के निलंबन का लेखा-जोखा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार की, यह समीक्षा करने के लिए कि दूरसंचार सेवाओं के निलंबन में अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए दिशानिर्देशों का पालन किया गया है, मानक संचालन प्रक्रिया अपनाने की कोई योजना है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने टॉप 10 वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (वीपीएन) द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट का संज्ञान लिया है जिसके अनुसार वर्ष 2022 में दूरसंचार सेवाओं के निलंबन से 172 मिलियन डॉलर के समतुल्य अनुमानित हानि हुई है, यदि हां, तो इसके समाधान के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

संचार राज्य मंत्री

(श्री देवुसिंह चौहान)

(क) से (ग) संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार पुलिस और लोक व्यवस्था राज्य के विषय हैं। दूरसंचार अस्थायी सेवा निलंबन (लोक आपात या लोक सुरक्षा) नियम, 2017 में निहित प्रावधानों के तहत राज्य सरकार को राज्य अथवा राज्य के किसी हिस्से में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए इंटरनेट सेवाओं के अस्थायी निलंबन आदेश जारी करने का अधिकार है।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने निलंबन आदेशों को जनसाधारण के लिए जारी करना अनिवार्य किया है; और दूरसंचार सेवाओं के निलंबन हेतु जारी सभी आदेशों को आनुपातिकता के सिद्धांत का अनुपालन करना होगा और यह निर्धारित अवधि की सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त निदेशों को दिनांक 10.11.2020 को राज्यों/संघ-राज्य क्षेत्रों(यूटी) के सभी मुख्य सचिवों/प्रशासकों को सूचित कर दिया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार सूचना को संबंधित राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र की वेबसाइट पर देखा जा सकता है।

नागरिकों के हित में इंटरनेट के योगदान को असामाजिक तत्वों द्वारा दुरुपयोग को रोकने के साथ संतुलित करने हेतु स्थानीय (राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र सरकार) प्राधिकारियों के मूल्यांकन के आधार पर नियमानुसार इंटरनेट सेवाओं को अस्थायी रूप से बंद करने की आवश्यकता होती है।

****